(घ) यह संख्या निम्नलिखित है :—

| | कम्प्यूटर | टेलेक्स | टेलीप्रिन्टर | वर्ड प्रोसेसर |
|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी | 4 | 1 | — | — |
| देवनागरी | — | — | — | — |
| द्विभाषी | — | — | — | 1 |

**राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन**

353. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कभी कोई प्रयास किया गया है कि रक्षा मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है ;

(ग) रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा स संबंधित कार्य के बारे में क्य स्थिति है ; और

(घ) मन्त्रालय में हिंदी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) राजभाषा अधिनियम तथा वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तिमाही रिपोर्टों एवं समय-समय पर किए गए निरीक्षणों के माध्यम से बारीकी से नजर रखी जाती है। रक्षा मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति और समस्त रक्षा संगठनों में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है। राजभाषा के रूप में हिंदी के इस्तेमाल में प्रगति हुई है और इन समीक्षाओं के आधार पर राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने और कार्यान्वयन करने के लिये अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

(ख) करीब 585 ।

(ग) मन्त्रालय के अधीन आठ रक्षा उपक्रम हैं और उनमें से प्रत्येक, जहां तक सम्भव है, सरकारी अनुदेशों के अनुसार हिन्दी में कार्य करने का क्रमबद्ध प्रयास कर रहा है ।

(घ) मंत्रालय में सात कम्प्यूटर, तीन टेलीप्रिंटर, एक टेलेक्स और सत्रह इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर हैं । इन इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों में से केवल पांच टाइपराइटर द्विभाषी हैं, बाकी केवल अंग्रेजी में हैं ।

**हिन्दी भाषा का प्रसार**

354. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णतः अवहेलना करते हुए रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप विदेश मंत्रालय में हिंदी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और जहां भी टेलेक्स मशीनें लगायी गई हैं वहां से एक भी तार हिंदी में नहीं भेजा गया ;

(ख) क्या यह भी [illegible] क्षेत्रों में अंग्रेजी टंकण यंत्रों [illegible] में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिये थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिंदी भाषा के प्रसार के लिये क्या नये कदम उठाए गए हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी, नहीं । मन्त्रालय द्वारा आधुनिक कार्यालयी उपकरणों की खरीद कार्यात्मक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है । देवनागरी में कार्यालय सहायक मशीनों और उपकरणों के प्रयोग को बढ़ाना सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के साथ-साथ चलेगा । मंत्रालय हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयास करता है और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की समीक्षा की जाती है । मंत्रालय में हिंदी के सघ तर प्रयोग में सलाह देने के लिए हिंदी सलाहकार समिति की उप समिति भी बनायी गयी है ।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय के "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित अधिकांश पासपोर्ट कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइट तो हैं लेकिन ये 50:50 के अनुपात में नहीं हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है । शेष कार्यालयों के लिए कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर खरीदने के लिये कदम उठाये गये हैं । हिन्दी में काम को सुविधाजनक बनाने के लिये पासपोर्ट कार्यालय के लिये हिन्दी जानने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है । मंत्रालय के मुख्यालय से हिंदी अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों के आवधिक निरीक्षण को और विस्तृत बनाया गया है ।

**Indo-Sri Lanka Society**

355. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether an Indo-Sri Lankan Society has been set up in India;

(b) if so, what are the details of its objectives;

(c) whether any meeting has been held by the Indo-Sri Lankan Society;

(d) if so, when and with what objectives;

(e) whether such a Society has been set up in Sri Lanka also; and

(f) if so, what are the details thereof and benefits to be derived by both countries from such Societies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) Government are aware that a non-governmental Indo-Sri Lanka Society has been set up in Delhi to promote traditional ties of close friendship and co-operation between India and Sri Lanka;

(c) and (d) Government are informed that this society organised a seminar on the Indo-Sri Lanka Agreement of the 29th July, 1987, and on its progress since that date. The seminar was held on the 30th October, 1987.

(e) and (f) There exists a Sri Lanka-India Society in Colombo which has been in existence for the last twenty years to promote friendship and understanding as well as cultural and people-to-people exchanges between India and Sri Lanka. A number of prominent Sri Lankan citizens are office-bearers of this Society.

**Criticism by Mauritian P. M. of Indian Diplomats**

356. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether while addressing an annual dinner at Port Louis in December last,